

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 104 / 2022

उनवान

1. गोपाल पिता नाथूलाल ब्राह्मण निवासी तहनाल
2. गोवर्धन पिता नाथूलाल ब्राह्मण निवासी तहनाल
3. गोविन्द पिता नाथूलाल ब्राह्मण निवासी तहनाल
4. शिवनारायण पिता नाथूलाल ब्राह्मण निवासी तहनाल

- प्रार्थीगण

बनाम

1. सीताराम पिता ऊंकार कुमावत निवासी शम्भुपुरा
2. महावीर पिता ऊंकार कुमावत निवासी शम्भुपुरा
3. रोडीलाल पिता अणदीलाल व्यास निवासी गोपालपुरा
4. मु. गायत्री पुत्री नाथूलाल ब्राह्मण निवासी तहनाल
5. मु. गीता पुत्री नाथूलाल ब्राह्मण निवासी तहनाल
6. मु. ग्यारसी पुत्री नाथूलाल ब्राह्मण निवासी तहनाल

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री राजेश वर्मा  
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-: निर्णय :-

दिनांक- 20 / 06 / 2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम तहनाल तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 24 रकबा 0.76 है 0 कुल कित्ता 1 रकबा 0.76 हैक्टेयर के खातेदारप्रार्थीगणसंयुक्त खातेदारी काशतकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 2 व 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं० 4 लगायत 6 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम तहनाल संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगणोप्रार्थीगण के खातेदारी संयुक्त खातेदारीमें दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहतेचाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा तहनाल में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् कित्ता 1 रकबा 0.76 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 500 रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20 / 06 / 2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



प्रतिनिधि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(सुनिता यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा